राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, नरेगा)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि / नरेगा / माद / 2010 जयपुर, दिनांक:-

3 0 DEC 2010

:: आदेश ::

न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि होने, श्रमिकों द्वारा सम्पादित की जाने वाली टास्क में परिवर्तन होने तथा कार्यस्थल की वास्तविक स्थिति के कारण कार्यो की लागत में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत तकमीने की राशि में परिवर्तन होना संभव है। उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए संशोधित तकनीकी स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में पूर्व में जारी सभी निर्देशों को अधिकमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :-

1. कार्य की लागत में 10 प्रतिशत तक वृद्धि होने की स्थिति में संशोधित तकनीकी स्वीकृति जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में केवल संशोधित वित्तीय स्वीकृति ही जारी किया जाना पर्याप्त होगा। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे एवं पूर्व के प्रकरणों के लिए भी लागू होगें।

2. तकनीकी मार्गदर्शिका-2010 के बिन्दु संख्या 7.4.2 के उप बिन्दु संख्या (iv) एवं उप बिन्दु संख्या (viii) की अन्तिम तीन लाइनों को हटाया जाता है जिसमें कार्यो की लागत में 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर संशोधित तकनीकी स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता, ईजीएस मुख्यालय को अधिकृत किया गया था। अब अधिशाषी अभियंता स्तर से जारी की गई तकनीकी स्वीकृति में 25 प्रतिशत से अधिक, डिजाईन में परिवर्तन, मौके पर आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कार्य कराने एवं मापदण्डों में परिवर्तन के कारण की स्थिति में संशोधित तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जायेगी।

विभाग द्वारा जारी तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 के बिन्दु संख्या-7.4.2 को उक्त निर्देशों के अनुसार संशोधित कर लिया जावे।

24/12/10

(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना, समस्त राजस्थान।

2 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम / द्वितीय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

3 अधिशाषी अभियंता, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

4 ब्लॉक कोर्डिनेटर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना, समस्त राजस्थान।

5 विकास अधिकारी कम कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

6 रक्षित पत्रावली।

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस